

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/ 943

दिनांक - 28.02.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मानाराम पुत्र  
कानाराम जाति  
जाट निवासी  
खुडासा तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर


1 मालाराम पुत्र कानाराम 2 फुसाराम पुत्र चैनाराम 3 लाभुराम 4 हेमाराम 5 लुम्भाराम  
पिसरान देवाराम 6 आदुराम पुत्र गोमाराम 7 तेजाराम पुत्र कुम्भाराम 8 देवीलाल 9 दिलीप  
कुमार पिसरान किरताराम 10 नेनू देवी पत्नी कालुराम 11 प्रहलादराम पुत्र अणदाराम 12  
मानी देवी पत्नी गोमाराम 13 गीरो देवी पत्नी कुम्भाराम 14 शिवजीराम पुत्र कुम्भाराम 15  
सुखी देवी पत्नी किरताराम जाति जाट निवासी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर 16 किशोरसिंह पुत्र जोरसिंह 17 जडाव कंवर पत्नी जोरसिंह 18 जडाव कंवर  
पत्नी नाथूसिंह 19 जडाव कंवर पुत्री मोहनसिंह 20 नरपतसिंह पुत्र हाकमसिंह 21 बाल  
कंवर पत्नी हाकमसिंह 22 भागीरथसिंह पुत्र हाकमसिंह 23 मगसिंह पुत्र जोगसिंह 24  
मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह 25 मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह 26 रामसिंह पुत्र जोगसिंह 27 लेहर  
कंवर पत्नी नाथूसिंह 28 लेहर कंवर पत्नी मोहनसिंह 29 सवाईसिंह पुत्र जालमसिंह 30  
किशन कंवर पत्नी बनेसिंह 31 गुमानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 32 जगपालसिंह पुत्र वन्नेसिंह  
33 जुझारसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 34 दातारसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 35 पारस कंवर पत्नि  
रूपसिंह 36 बाजू कंवर पत्नि उम्मेदसिंह 37 मोहनसिंह पुत्र नाथूसिंह 38 सुमेरसिंह 39  
सुरेन्द्रसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 40 सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी  
खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 41 गायत्री पत्नि रमेश कुमार 42  
चेतनराम 43 बांकाराम 44 मगाराम पिसरान किशनाराम जाति ब्राहमण निवासी खुडासा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-529/2024

दिनांक- 17/02/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खुडासा पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा  
संख्या 292/105 रकबा 2.6385 हेक्टर, खसरा संख्या 293/105 रकबा 0.0567 हेक्टर, खसरा संख्या 294/118  
रकबा 1.4407 हेक्टर व खसरा संख्या 490/207 रकबा 0.6313 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में  
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगाड़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
( वीरगा राम )  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 944-47

दिनांक- 28.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भोजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मानाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण मालाराम पुत्र कानाराम वगैरह जाति जाट निवासी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर